न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 229/2022 दर्ज तिथि :– 15.12.2022

1. श्री संजय पिता शिवलाल नायक निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. श्री बबलु पिता शिवलाल नायक निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................वादीगण

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता शिवलाल नायक निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. नन्दुबाई पत्नि शिवलाल नायक निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

...................प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ताः–श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव
प्रतिवादीगण अधिवक्ता– श्री घनश्याम असावा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88
राजस्थान राज.काश्तकारी अधि0–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 19.04.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त ... प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 123 ... ग्राम कचरियाखेडी, पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

हल्का, ढोरिया तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाद पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री भेरूलाल पिता शिवलाल 1/8	671	0.01
श्री बाबुलाल पिता शिवलाल 1/8	672	1.98
देवीलाल पिता शिवलाल 1/8	793	0.38
नन्दुबाई पत्नि शिवलाल 1/8	815	0.38
शेष बदस्तुर	822	0.73
कुल योग	**5**	**3.48 हैक्टेयर**

2. उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 एवं 2 की पुश्तेनी होकर पूर्व में इनके पिता/पति श्री शिवलाल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। श्री शिवलाल के देहान्त के उपरांत विरासत के नामान्तरकरण के दौरान राजस्व कार्मिकों की गलती से वादी नं. 1 संजय के बजाय भेरूलाल एवं वादी नंबर 2 बबलु के बजाय बाबुलाल सहवन से दर्ज हो गया जबकि वादीगण केक सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में एवं खातेदारी की अन्य आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 का नाम संजय एवं वादी नं. 2 का नाम बबलु दर्ज चला आ रहा है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगणों के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित नामों को सही घोषित करवाने का निवेदन वादीगणों द्वारा वाद के अन्त में किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 एवं 2 मय अधिवक्ता उपस्थित जिन्होंने राजीनामें में वर्णित सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने की प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी की ओर से गवाह बबलु द्वारा गवाह पेश की गई एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिसमें प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2077–2080 प्रदर्श–2 मिलान खसरा, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2059–2062, प्रदर्श–4 नामान्तरण संख्या 898, प्रदर्श–5 नामान्तरण संख्या 973, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत 2055–2058 है।

4. मैंने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण के संलग्न दस्तावेजाज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक अंकतालिका, पेन कार्ड में वादी नं. 1 का नाम संजय एवं वादी नं. 2 का नाम बबलु अंकित है। इसी प्रकार संलग्न ग्राम कचरियाखेडी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 154 में दर्ज आराजी नम्बर 788 रकबा 0.01 एवं आराजी नम्बर 7[illegible] रकबा 1.80 हैक्टेयर में श्री वादीगण का नाम बबलु पिता शिवलाल एवं संजय पिता शिवलाल दर्ज रिकार्ड है। सरपंच ग्राम पंचायत ढोरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 22–23 दिनांक 14.12.2022 अनुसार श्री शिवलाल पिता भूरालाल के 3 पुत्र संजय, बबलु, देवीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rundadia
Date: 2024.01.06 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

तथा शिवलाल की बेवा नन्दुबाई वारिसान है। भेरूलाल पिता शिवलाल एवं बाबुलाल पिता शिवलाल नायक नाम के कोई व्यक्ति ग्राम कचरियाखेडी में निवास नहीं करते है।

5. प्रकरण में श्री शिवलाल पिता भूरालाल के विरासत के नामान्तरकरण दायर के दौरान सहवन से वादीगण का गलत नाम रिकार्ड में दर्ज होना साबित होता हैं। अतः वादी नं. 1 का नाम भेरूलाल के बजाय संजय एवं वादी नं. 2 का नाम बाबुलाल के बजाय बबलु घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कचरियाखेडी, पटवार मण्डल ढोरिया की आराजी नंबर आ.नं. 671 रकबा 0.01, आ.नं. 672 रकबा 1.98 है., आ.नं. 793 रकबा 0.38 है., आ.नं. 815 रकबा 0.38 है. तथा आ.नं. 822 रकबा 0.73 है. कुल किता 5 कुल रकबा 3.48 है. में भेरूलाल पिता शिवलाल के बजाय संजय पिता शिवलाल एवं बाबुलाल पिता शिवलाल के बजाय बबलु पिता शिवलाल दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

19/4/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested